न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुण्डा, प्रतापगढ़।

UPPG160034542026

राज्य बनाम धर्मराज यादव

जमानत प्रार्थना पत्र सं. 381/2026

दिनांक–30.05.2026

अभियुक्त धर्मराज यादव की ओर से मुकदमा संख्या– 15/2018, अंतर्गत धारा–379, 411 भारतीय दण्ड संहिता, थाना–संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़ के प्रकरण में **द्वितीय जमानत** प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त आज आत्मसमर्पण कर न्यायालय में उपस्थित है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है प्रार्थी /अभियुक्त को मुकदमे में झूठा फंसाया गया है, वह निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए। जबकि विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध पुलिस प्रपत्रों के सम्यक परिशीलन से यह विदित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा आरोप विरचन में सहयोग न करने के कारण दिनांक 23.03.2026 को जमानत निरस्त कर दी गयी थी, जिसके कारण आज द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि वह आरोप विरचन के समय न्यायालय में सशरीर उपस्थित रहेगा। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु आधार पर्याप्त है।

आदेश

हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मुवलिग ३०,०००/– रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र, समान धनराशि का एक प्रतिभू एवं अंडरटेकिंग दाखिल करने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।

१. अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा, अनावश्यक स्थगन नहीं प्रस्तुत करेगा।

२. मामले के वादी मुकदमा एवं अन्य साक्षीगण को उत्प्रेरित नहीं करेगा और न ही साक्ष्य से किसी प्रकार का छेड़छाड़ करेगा।

३. पत्रावली में जब तक आरोप विरचित न हो जाये, तब तक प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्येक नियत तिथि तक सशरीर उपस्थित आता रहेगा।

(आकृति गौतम)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कुण्डा, प्रतापगढ़।

स्टेनो–सुनील कुमार पटेल(II)

Digitally signed by AKRITI GAUTAM
Date: 2026.06.11 08:13:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court